न्यायालय-सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, डेगाना (नागौर)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 576/2016

प्रार्थी –

किशनाराम गोद पुत्र स्वर्गीय रामपाल उम्र 45 साल जाति खाती निवासी रामसरी तहसील डेगाना जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. भंवरी देवी पुत्री स्वर्गीय रामपाल पत्नी आईदानराम सुथार उम्र 49 साल निवासी रामसरी हाल सांगरिया फांटा, पाली रोड़, बाय पास चौक, राणी भटियाणी मेडिकल स्टोर के पीछे जोधपुर जिला जोधपुर।
2. तहसीलदार डेगाना।
3. पटवारी हल्का तिलानेस तहसील डेगाना।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्ता प्रार्थी – श्री छोटुराम बैड़ा
अधिवक्ता अप्रार्थी–श्री शंभूसिंह राठौड़

दिनांक 17.6.2021

–:: आदेश ::–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम रामसरी हल्का पटवारी तिलानेस तहसील डेगाना में स्थित पुराने खेत खसरा नंबर 54 रकबा 16:00 बीघा, खसरा नंबर 55 रकबा 02:16 बीघा, खसरा नंबर 56 रकबा 14:03 बीघा कुल रकबा 32:19 बीघा भूमि जो पुश्तेनी जायदाद होने से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्वज स्वर्गीय पूसाराम पुत्र रामदीन एवं नारायण पुत्र कानाराम के नाम वक्त सेटलमेन्ट कब्जा काश्त के आधार पर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज होकर उनके देहावसान के बाद उन दोनों के वैधानिक वारिसान को जरिये फौतगी नामान्तरण के प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में स्वर्गीय पूसाराम व नारायण के सिजरा खानदान का विवरण प्रस्तुत किया है। खेत खसरा नंबर 54 रकबा 16:00 बीघा पारिवारिक बंटवाड़े के तहत रामपाल के हिस्से में आया [illegible] खेत खसरा नंबर 55 रकबा 02:03 बीघा तथा खेत खसरा नंबर 56 रकबा 14:12 बीघा [illegible] रकबा 16:19 बीघा भूमि नारायण के वारिसान के हिस्से में आया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2021.07.31 15:53:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

स्वर्गीय रामपाल के अप्रार्थी भंवरीदेवी केवल पुत्री संतान होने से एवं अपना वंश चलाने के लिए उनके जीवन काल में ही दोनो पति–पत्नि द्वारा प्रार्थी को गौद पुत्र लेने के लिए प्रार्थी के पैतृक पिता स्वर्गीय घेवरराम ने प्रार्थी को अपने कुटुम्बियों, रिश्तेदारो, समाज एवं गांव के मौजीज व्यक्तियों की उपस्थिति में गौद पुत्र लेना स्वीकार किया। आज से करीब 35 साल पूर्व स्वर्गीय रामपाल का देहावसान हो जाने पर समाज के रीति रिवाजों के अनुसार गंगाजी लेकर प्रार्थी हरिद्वार उनके फूल लेकर गया एवं गंगा प्रसादी का समस्त खर्चा वहन किया। स्वर्गीय रामपाल के देहावसान के दो साल बाद ही अप्रार्थी संख्या 1 के बालिग होने पर विवाह एवं मुकलावे का तमाम खर्चा प्रार्थी द्वारा वहन किया गया । अप्रार्थी भंवरीदेवी के बच्चों की शादी के समय समाज के रीति रिवाजों के अनुसार प्रार्थी द्वारा ही अपने भाई–बन्धुओं को साथ लेकर जोधपुर भात भरा (मायरा) जिमें लगभग पांच लाख रूपये का खर्चा प्रार्थी ने बहन होने के नाते खर्च किया। स्व0 रामपाल के देहावसान के बाद उनके हिस्से की कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 54 रकबा 16:00 बीघा जिसके नये खसरा नंबर 89 रकबा 2.5900 हैक्टेयर है, जो स्वर्गीय घेवरराम (प्रार्थी के पैतृक पिता) एवं अप्रार्थी भंवरीदेवी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, मगर प्रार्थी पिछले 30 सालों से उक्त कृषि भूमि पर बिना किसी रूकावट एवं शांति पूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त खसरा की जमीन पर कभी भी काबिज नहीं रही है। सुविधा का संतुलन की स्थिति प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी के खिलाफ अगर अस्थाई निषेघाज्ञा जारी की जाती है तो उसे किसी प्रकार का कोई नुकसान कारित होने वाला नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी की बहन होते हुए भी वर्तमान में कृषि भूमियों की कीमत आसमान छूती होने के कारण लोभ–लालच के वशीभूत होकर प्रार्थी को ऐलानियां धमकी दी कि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा वो किसी अनजान व्यक्ति को बैचान करने कर देगी। प्रार्थी ने अपने नजदीकी रिश्तेदारों के साथ अप्रार्थी को समझाने का प्रयास किया मगर अप्रार्थी मानने को तैयार नहीं है जिससे प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया है कि अप्रार्थी भंवरीदेवी उक्त भूमि का बैचान कर सकती है। अगर अप्रार्थी संख्या 1 उक्त खसरे की जमीन से प्रार्थी को बेदखल कर देती है तो प्रार्थी तबाह हो जायेगा क्योंकि प्रार्थी अपने एवं पंरिवार का भरण–पोषण इसी भूमि से करता है। अप्रार्थी संख्या 1 की जब से शादी हुई है तब से लेकर अब तक उक्त भूमि पर प्रार्थी अकेला ही पिछले 30 सालों से बिना किसी रोक टोक के शांतिपूर्वक काबिज चला आ रहा है जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 1 आउट ऑफ पजेशन हो चुकी है। प्रार्थी के पैतृक पिताजी का भी बहुत पहले देहावसान हो चुका है जिसके कारण प्रार्थी ही उक्त खेत का एक मात्र मालिक है। उक्त लम्बी अवधि में उक्त खसरा की भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए पानी ठहराव के लिए मिट्टी की डोल आदि बनाकर उसमें हर साल काफी व्यय करता आ रहा है। प्रार्थी उक्त खेत पर चिरकाल से शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त खसरा पर काबिज नहीं

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2021.07.31 16:53:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

रही है जिसके कारण सुविधा का संतुलन की स्थिति प्रार्थी के पक्ष में है। अगर अप्रार्थी संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाती है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी भरपाई धन के रूप में कभी नही हो पायेगी।

अतः अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर फरमाई जाये कि राजस्व ग्राम रामसरी में स्थित नये खसरा नंबर 89 रकबा 2.5900 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा अर्थात 08:00 बीघा भूमि पर प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी ना तो स्वयं करें एव ना ही अन्यों से करावे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.11.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाबदेही जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के विरूद्व बावजूद पर्याप्त सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 21.12.2018 को एक पक्षिय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का खण्डन किया एवं निवेदन किया है कि प्रार्थी किशनाराम स्वर्गीय घेवरराम का लड़का है तथा स्वर्गीय रामपाल का दत्तक पुत्र नहीं है। रामपाल पुत्र पुसाराम के केवल एक मात्र वारिस अप्रार्थी संख्या 1 भंवरीदेवी ही है जिसके नाम से खसरा नंबर 54 रकबा 16:00 बीघा की 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज रजिस्टर है। प्रार्थी को स्वर्गीय रामपाल ने अपने जीवनकाल में कभी गौद नहीं लिया है। प्रार्थी ने अपने गौद जाने की तिथि, मिति, साल अंकित नहीं किया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी के पिता रामपाल के देहावसान पर तथा अप्रार्थी की शादी एवं बच्चों की शादी पर किसी प्रकार का खर्च नहीं किया है क्योंकि रामपाल जी देहावसान के वक्त प्रार्थी की उम्र 10–12 साल थी तथा अप्रार्थी की शादी के वक्त उम्र 14 वर्ष थी। खसरा नंबर 54 में रामपाल जी के 1/2 हिस्से की भूमि पर रामपाल जी के देहावसान के बाद अप्रार्थी संख्या 1 काबिज चली आ रही है तथा आज भी अप्रार्थी संख्या 1 काबिज है। अप्रार्थी संख्या 1 अपने ससुराल में रहती है इसलिये प्रार्थी के मन में बदयान्ति आ गई है तथा प्रार्थी अपने आप को रामपाल जी का दत्तक पुत्र बताकर नाजायज रूपसे भूमि हड़पना चाहता है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि की रेकार्डेड खातेदार है तथा काबिज काश्त है जिससे प्रथम सुविघा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। मजीद उजरात में अप्रार्थी संख्या 1 ने निवेदन किया है कि प्रार्थी अपने आपको स्वर्गीय रामपाल पुत्र पूसाराम खाती का दत्तक पुत्र होना बताकर उसके आधार पर खा[illegible] एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि जवाब देहिन्दा प्रार्थी के गौद [illegible] से इन्कार कर रही है

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2021.07.31 15:53:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

इसलिये जब अभी तक प्रार्थी सक्षम न्यायालय से अपने आपको स्वर्गीय रामपाल का दत्तक पुत्र होने का निर्णय नहीं लेवे तब तक गोद के आधार पर प्रार्थी को कोई इस्तदुआ नहीं प्राप्त कर सकता। गोद का बिन्दू तय करने का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को ही है इसलिये जब तक प्रार्थी अपने आपको सिविल न्यायालय से दत्तक पुत्र होना घोषित नहीं करवा लेता तब तक उपरोक्त अनुवान का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। खसरा नंबर 89 रकबा 2.59 हैक्टेयर भूमि में से 1/2 हिस्सा की भूमि जवाब देहिन्दा की पुश्तेनी एवं कब्जा काश्तसुदा भूमि है इसलिये भी प्रार्थी जवाब देहिन्दा को उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है।

हमने पत्रावली का अघोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष वकुलाय द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। प्रार्थी का कथन है कि वो स्वर्गीय रामपाल पुत्र पुसाराम का गौद पुत्र है तथा स्वर्गीय रामपाल के देहावसान होने के बाद से लगातार रामपाल के हिस्से की भूमि खसरा नंबर 89 के 1/2 हिस्से पर निरन्तर काबिज है। अप्रार्थी संख्या 1 शादी के बाद से उक्त भूमि पर काबिज नहीं है तथा आउट ऑफ पजेशन है जिससे उक्त 1/2 हिस्से की भूमि की खातेदारी प्रार्थी अपने नाम करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी सं. 1 खातेदारी की आड़ में उक्त भूमि का बैचान कर देती है तो प्रार्थी को भारी असुविधा व क्षति होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दू प्रार्थी के हक में है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि अप्रार्थीया स्व0 रामपाल की इकलोती सन्तान है तथा प्रार्थी स्व0 रामपाल का गौद पुत्र नहीं है। प्रार्थी ने केवल मात्र मौखिक कथन किया है कि वो स्व0 रामपाल का गौद पुत्र है। किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। चूंकि अप्रार्थीया संख्या 1 उक्त भूमि की रेकोर्डेड खातेदार है तथा उक्त भूमि प्रार्थीया को पैतृक उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है जिससे प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी की बजाय अप्रार्थीया संख्या 1 के पक्ष में है। अगर प्रार्थी अप्रार्थीया को उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल करने में सफल होता है तथा अप्रार्थीया संख्या 1 को उसके खातेदारी अधिकारों के भोग–उपभोग से वंचित करने में सफल होता है तो अप्रार्थीया संख्या 1 को भारी क्षति होगी। इस प्रकार तीनों ही बिन्दू प्रार्थी के बजाय अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

उभय पक्ष वकुलाय की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व ग्राम रामसरी के खसरा नंबर 89 रकबा 2.59 हैक्टेयर भूमि की अप्रार्थी भंवरीदेवी पुत्री रामपाल रेकोर्डेड खातेदार है। प्रार्थी अपने आप को स्व0 रामपाल का गौद पुत्र होना कथन करता है, परन्तु उक्त संबंध में किसी प्रकार के कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। मात्र मौखिक कथनों के आधार पर रेकोर्डेड खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि के भोग–उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। प्रथम दृष्टया उक्त विवादित भूमि स्व0 रामपाल के हिस्से में प्रार्थी को हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2021.07.31 15:53:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्राप्त होना साबित नहीं होने से प्रार्थी को किसी प्रकार की क्षति नहीं होनी है। इसके बजाय अगर अप्रार्थीया संख्या 1 को उसके खातेदारी अधिकारों के उपयोग से वंचित किया जाता है तो अप्रार्थीया को भारी क्षति होगी। इस प्रकार तीनों ही बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी रहे। आदेश आज दिनांक 17.6.2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,
डेगाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2021.07.31 15:53:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner